

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 22(1)न्याय/22

जयपुर, दिनांक

::आज्ञा::

राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को अग्रिम आदेशों तक कार्यव्यवस्था की दृष्टि से प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित विभाग में कार्य करने हेतु तुरन्त प्रभाव से एतद्वारा निर्देशित किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री)	वर्तमान पदस्थापन	कार्यव्यवस्था हेतु आवंटित विभाग
1.	श्री नन्द गोपाल गोयल	उप विधि परामर्शी जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर	उप विधि परामर्शी राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय, जयपुर (सप्ताह में 3 दिवस सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार) एवं उप विधि परामर्शी पंचायती राज विभाग सचिवालय, जयपुर (सप्ताह में 2 दिवस गुरुवार एवं शुक्रवार)
2.	श्री ओम प्रकाश शर्मा	उप विधि परामर्शी (आदेशों की प्रतीक्षा में)	उप विधि परामर्शी वन विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
3.	श्री पूनमा राम	कनिष्ठ विधि अधिकारी नगर परिषद् बाड़मेर	कनिष्ठ विधि अधिकारी जिला कलक्टर, कार्यालय बालोतरा

श्री गोयल के वेतन भत्ते इत्यादि का भुगतान जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से, श्री शर्मा के वेतन भत्ते इत्यादि का भुगतान राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान से तथा श्री पूनमा राम के वेतन भत्ते इत्यादि का भुगतान नगर परिषद् बाड़मेर से अग्रिम आदेशों तक आहरित किये जावेंगे।

आज्ञा से

(आशुतोष कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. उपरोक्त सभी संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि वे कार्यव्यवस्था हेतु आवंटित स्थान पर कार्यग्रहण करें अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जाकर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट भी इस विभाग को अविलम्ब भिजवायें।
4. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव